न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2023(रा.प्रा.प.) (GCMS 2023/206)	21.07.2023	07.01.2025

अनवान

किशनलाल पिता रतनलाल जाति अहीर उम्र वयस्क पेशा कृषि साल निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमती पप्पूदेवी पत्नी मदनलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी खटीक मौहल्ला निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– खुमराज कुमावत — अपीलार्थी
छोगालाल जाट — प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 001/2022 निर्णय दिनांक 14.06.2023 श्रीमती पप्पूदेवी बनाम किशनलाल

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा बमिसल कमांक 001/2022 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.06.2023 से व्यथित होकर निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने बिना अपीलार्थी/विपक्षी को सुने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर दिनांक दिनांक 20.02.2024 को प्रत्यर्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रालवी है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2023/1469 दिनांक 01.09.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्राप की जाकर बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रत्यर्थी ने एक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय का पेश किया कि मौजा मैलाना की खाता संख्या 927 के आराजी संख्या 1532 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि दिनांक 21.06.2022 को पूर्व खातेदार मांगीबाई पत्नी घीसालाल चमार निवासी रूपपुरा जिला नीमच से पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया तभी से खातेदारी व कब्जे–काश्त में चली आ रही है। विपक्षी/अपीलार्थी जो कि स्वर्ण जाति का सदस्य है, इसलिये मेरी खरीदशुदा जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा छोडने के लिये मना कर दिया इसलिए प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाया जावे। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस जारी किया व अपीलार्थी की और से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया, फिर भी विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया।

विवादित जमीन अपीलार्थी के परिवार के कब्जे में आवंटन पूर्व से रही है व उक्त जमीन उबड–खाबड व पथरीली होने से उस पर लाखों रूपये खर्च कर काबिज काश्त अपीलार्थी ने बनाई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को निर्णय पूर्व शहादत सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर जल्दबाजी में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीया के खातेदारी की आराजीयात् ग्राम मैलाना में स्थित है। उक्त आराजी आराजी संख्या 1532 508 रकबा 1.08 हैक्टेयर जो कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीया के मालिकाना हक से उसके खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलार्थी/विपक्षी ने जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रत्यर्थी/प्रार्थीया अनुसूचित जाति की है, नियमानुसार अनुसूचित जाति की आराजी पर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति कब्जा बनायें नही रख सकता है। अपीलार्थी/विपक्षी ने जान बुझकर अपने ताकत के बल पर कब्जा बनाये रखा है जिस कारण प्रत्यर्थी/प्रार्थीया अपनी आराजी उपयोग–उपभोग से वचिंत है। अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को उसकी आराजी संख्या 1532 पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु अपीलार्थी/विपक्षी ने कोई कब्जा नही हटाया न हटाने हेतु तैयार हुए जिस कारण प्रत्यर्थी/प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अधीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2023 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी/प्रार्थीया जाति से खटीक होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलार्थी/विपक्षी जाति से अहीर होकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप प्रत्यर्थी/प्रार्थीया कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2016-17(Supp.) पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किये कि अपीलार्थी/विपक्षी ने उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया है जबकि अपीलार्थी के पूर्वजो का उक्त आराजीयात पर कब्जा अनवरत चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में जबरन कब्जा करने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार है। इसके साथ ही अपीलार्थी के पिता ने न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के यहां उक्त विवादित आराजी संख्या 1532 के संबंध में आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु विचाराधीन प्रकरण संख्या 012/2022 के तहत आवंटन को चैलेंज किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी/प्रार्थीया उक्त आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल थी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की बिना सुनवाई, साक्ष्य शहादत का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2022 निर्णय दिनांक 14.06.2023 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**’’

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 13.12.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमें दिनांक 12.01.2023 को अपीलार्थी की और से उनके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता द्वारा उपस्थित दी गई, तत्पश्चात् दिनांक 01.03.2023 को अपीलार्थी की और से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात की खातेदार प्रत्यर्थीया है इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थी जाति से खटीक होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलार्थी जाति से अहीर होकर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में आते हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है, अतः उक्त धारा 183–बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 1965 से है, जिसे प्रत्यर्थी/प्रार्थीया द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को 1965 के बाद कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा 1965 के पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जाशुदा अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है :–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत (person or persons entitled to admit trespasser as tenant) था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली "entitled to admit" को विलोपित कर शब्दावली "entitled to eject" प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06. 1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183–बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये (A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority) है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से प्रत्यर्थी/प्रार्थीया अनुसूचित जाति की है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर अपीलार्थी/विपक्षी काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। यहां एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थीया द्वारा 2022 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है ?

इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2023 में अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलार्थी नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा की पत्रावली में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सरसी स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी विवादित आराजीयात पर काबिज है। इसके साथ ही प्रकरण में स्वतंत्र गवाहान श्री शिवनारायण पिता चुन्नीलाल जाति अहीर निवासी मैलाना, श्री चैनराम पिता नारायण लाल अहीर निवासी मैलाना एवं श्रीमती मांगीबाई पत्नी घीसालाल जाति चमार निवासी मैलाना हाल निवासी रूपपुरा तहसील नीमच की शहादत के रूप में शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 029/2012 कार्यवाही बाबत् पत्थरगढी के पर्चा मौका दिनांक 03.08.2016 की छायाप्रति पर तत्कालीन खातेदार मांगीबाई पत्नी घीसा जाति चमार की अंगूठा निशानी होना तत्समय आराजीयात पर कब्जा होने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का तथ्य अपीलार्थी द्वारा उठाया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 5 माह से अधिक का अवसर प्रदान किया गया है, जबकि अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत धारा 183 'बी' के प्रकरणों के निस्तारण की अवधि 3 माह निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया किया जाकर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में आवंटन के संबंध में तथ्यों को उठाया गया है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि आवंटन की प्रक्रिया या पात्रता या आवंटन शर्तो की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पालना के तथ्यों का परीक्षण संबंधित पत्रावली में ही किया जाना उचित है। आवंटन का हस्तगत प्रकरण में परीक्षण किया जाना उचित नहीं है।

इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात करने पर हमारा ऐसा अभिमत है उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है एवं प्रकरण में प्रत्यर्थी को तर्को को बल प्रदान करते है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2022 निर्णय दिनांक 14.06.2023 में किसी भी प्रकार विधिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा के निर्णय की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2023 प्रकरण संख्या 001/2022 अनवानी श्रीमती पप्पूदेवी बनाम किशनलाल अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official